न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या– 187/2026
फारबिसगंज थाना कांड संख्या– 470/2025

नुरीया खातून एवं 08 अन्य.....आवेदकगण
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

02-07-2026 आवेदकगण/अभियुक्तगण 1.नुरीया खातून, पति–अयुब, 2.मो0 साहिल उर्फ साहिल रजक, पिता–अलाउद्दीन रजक, 3.शमशाद उर्फ मो0 शमशाद बैठा उर्फ महबूब, पिता–मो0 मुमताज बैठा, 4.सैरून खातून उर्फ सैरूल खातून, पति–अमीरूद्दीन, 5.मुन्ना रजक, पिता–साहिद रजक, 6. अलाउद्दीन उर्फ छोटू उर्फ अलाउद्दीन रजक, पिता–उस्मान रजक, 7.सलमान रजक, पिता–अलाउद्दीन, 8.अयुब उर्फ अयुब बैठा, पिता–खिखरू उर्फ खिखरू बैठा एवं 9.मुमताज, पिता–मो0 मियां उर्फ मोहम्मद बैठा की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो फारबिसगंज थाना कांड संख्या– 470/2025, अंतर्गत धारा–329(4), 126(2), 115(2), 76, 125, 64, 118(1), 352, 351(2), 3(5) भा0न्या0सं0 से संबंधित है, को आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचिका निखत प्रवीण के लिखित आवेदन अनुसार यह है कि दिनांक 04.09.2025 को समय सुबह लगभग 4:30 बजे अपने मामा रसुल राय के घर में शौचालय गई थी, इसी बीच पड़ोसी मो० साहिल रजक अपने छत–छज्जा से उतरकर शौचालय में घुस गया तथा उसके साथ जबरदस्ती छेड़खानी करने लगा। हल्ला करने पर उसने उसका मुँह बंद कर दिया। मेरे हल्ला की आवाज सुन मेरी भौजाई डोली खातुन शौचालय के पास पहुँच गई, तथा शौचालय का पर्दा हटाया और परिवार के लोगों को आवाज देकर बुलाते हुई मुझे उक्त मो० साहिल रजक के कब्जे से छुड़ाया। हो हल्ला पर परिवार और समाज के लोग भी पहुँच गये। समाज के गणमान्य लोगों ने पंचायती कर मामला सलटाने का आश्वासन दिया। पंचायती में उपरोक्त मो० साहिल के घरवालों ने अपने सगे सम्बन्धियों को भी बुलाया था, जिसमें प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण ने पंचायती में हो हंगामा शुरू कर दिया तथा उपस्थित ग्रामीणों से गाली गलौज करते हुए लाठी, डंडा से मारपीट शुरू कर दिया। नुरिया खातुन लाल मिर्च पाउडर लोगों पर फेकने लगा, जिससे कई लोगों के आखों में काफी तकलीफ हुई अपने छत पर से ईटा, पत्थर एवं शीशा का बोतल फेंककर कई लोगों को घायल कर दिया। उसी वक्त नुरिया खातुन एवं उसके भाई अलाउद्दीन रजक ने उसे जबरदस्ती जान मारने के नीयत से अपने घर के गेट के अन्दर खींचकर घुसा लिया तथा उसके साथ ताबड़तोड़ मार पीट कर अधमरा कर दिया। अलाउद्दीन ने लाठी से उसके सिर पर मारा, जिससे जमीन पर गिर गई। इससे पूर्व भी उपरोक्त मो० साहिल ने शादी का प्रलोभन देकर मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया था।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदकगण के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। आवेदकगण को गलत तरीके से इस वाद में फंसाया गया है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल

गलत एवं मनगढ़ंत है। आवेदकगण को दुश्मनी एवं ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा फंसाया है। घटना की तिथि 04.09.2025 है, जबकि प्राथमिकी की तिथि 12.09.2025 है, दोनों के बीच काफी विलंब है। आवेदक सं0–09 अलाउद्दीन की पत्नी ने सूचिका के विरूद्ध फारबिसगंज थाना कांड सं0–468/2025 दायर किया है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रासंगिक कांड की प्राथमिकी आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 329(4), 126(2), 115(2), 76, 125, 64, 118(1), 352, 351(2), 3(5) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी के पारा 02, 06, 07 व 08 में वादिनी एवं साक्षियों ने तथाकथित घटना का समर्थन किये हैं। कांड दैनिकी के पारा 16 में पीड़िता निखत प्रवीण का चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन दर्शित है। कांड दैनिकी के पारा 20 में पीड़िता का धारा 183 बी0एन0एस0एस0 का बयान दर्शित है, जिसमें उन्होंने कही है कि आवेदक अभियुक्त साहिल रजक हमको शादी का झांसा देकर बहुत बार दुष्कर्म किया। दिनांक 04.09.2025 को सुबह 04:30 बजे शौच करने गयी तो मेरा मुंह बंद करके मेरे साथ जबरदस्ती छेड़खानी करने लगा। हल्ला की आवाज सुनकर मेरी भाभी आयी और साहिल रजक के कब्जे से हमको छुड़वाई। फिर दिनांक 05.09.2025 को जिसमें अलाउद्दीन, मुन्ना, सलमान, एयूब, सुनिल, मूनिर, नूरिया, मुमताज, शमशाद, सैरून और आदिल आया और गाली–गलौज करते हुए मारपीट किया तथा जान मारने की नियत से लाठी–डंडा से मारने की बात कही है। मामले में अभी अनुसंधान जारी है, अतः ऐसी परिस्थिति में आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)
Sd/-
(शशि भूषण कुमार)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।